राजस्व वाद संख्याः– 153/2017
श्रीमती श्रवणी बनाम हरचन्द वगै0
निर्णय दिनांकः– 30.05.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी ग(आर.ए.एस.)

मु0नं0 153/2017

श्रीमती श्रवणी आयु 77 वर्ष बेवा मालाराम जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनु। (मृतका)

01. मुकन्दाराम आयु 57 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

1/1. सोनी पत्नी मुकन्दाराम जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

1/2. विधाधर पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

1/3. बंशीधर पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

1/4. चन्द्रपति पुत्री मुकन्दाराम पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी घरडु की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

1/5. विमला पुत्री मुकन्दाराम पत्नी रामकल जावि जाट निवासी घरडू की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

1/6. मंजू पुत्री मुकन्दाराम पत्नी शिराम जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी हाल भापर तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

1/7. राजबाला पुत्री मुकन्दाराम पत्नी रणवीर निवासी देवरोड हाल भापर तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

बनाम

1– हरचंद पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झनू।

2– श्रीमती हरकोरी पत्नी हरचन्द जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

2/1. सुभाष पुत्र हरचन्द माता हरकोरी जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

2/2. रघुवीर पुत्र हरचन्द माता हरकोरी जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

2/3. राजकुमार पुत्र हरचन्द माता हरकोरी जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

2/4. गीता पुत्री हरचन्द माता हरकोरी पत्नी बलवान जाति जाट निवासी देवरोड हाल कामाण तहसील राजगढ जिला चुरू राजस्थान

3. गाड़ सिंह आयु 61 वर्ष पुत्र खुबाराम जाति जाट निवासी देवरोड़ (मृतक)

3/1. पतौरी पत्नी गाड़ सिंह जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

3/2. प्रकाश पुत्र गाड सिंह जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

3/3. कमल पुत्र गाड़ सिंह जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

3/4. रणजीत पुत्र गाड सिह जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

3/5. सावित्री पुत्री गाड़ सिंह जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

04. भान सिंह पुत्र स्व0 खुबाराम जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू। (मृतक)

4/1. सत्यवीर पुत्र भान सिंह जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

4/2. जयप्रकाश पुत्र भान सिंह जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू।

4/3. सुगनी पुत्री भानसिंह पत्नी रामजीलाल निवासी हाल ख्यालियों की ढाणी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद संख्या:– 163/2017
श्रीमती श्रवणी बनाम हरचन्द वगै0
निर्णय दिनांक:– 30.05.2025

4/4. सुमित्रा पुत्री भानसिंह पत्नी सुभाष निवासी हाल ख्यालियों की ढाणी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
4/5. भतेरी पुत्री भानसिंह पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू हाल नेतराम की ढाणी तन जाखोद तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
4/6. रामप्यारी पुत्री भानसिंह पत्नी श्री सुभाष जाति जाट निवासी देवरोड तहसील पिलानी हाल आबाद ग्राम गोठडी तहसील चिडावा जिला झुन्झुनु।
05. श्रीमती बगती उर्फ बख्ती पुत्री स्व0 खुबाराम स्त्री नोरंगराम जाति जाट निवासी घरडाना कलां तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू।
06. श्रीमती सिणगारी पुत्री स्व0 खुबाराम स्त्री गंगाराम जाति जाट निवासी रानासर उप तहसील मलसीसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
07. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील हाल पिलानी

प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादीगण अधिवक्ता

वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

निर्णय

वादी ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती हेतु वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवरोड में कालूराम पुत्र रामसुख जाति जाट नामक एक व्यक्ति हुआ था । उक्त कालुराम का देहान्त स. 2009 में हुआ था उक्त दुबाराम का देहान्त हुये करीब अर्सा 18 साल हो गया। उक्त खुबाराम की स्त्री का देहान्त उसके जीवनकाल में ही हो गया था। उक्त खुबाराम के वारिसान में उसके लड़के प्रतिवदीगण न. 4 व 5 व उसकी लड़किया प्रतिवादीगण न.6 व 7 है। उक्त कालूराम के लड़के खुबाराम, शंकरराम व मालाराम हुये थे। उक्त शंकरलाल का देहान्त स. 2000 में हुआ था । उक्त शंकरराम की स्त्री वादिया थी और उक्त शंकरराम से वादिया/श्रवणी के लड़के प्रतिवादी न. 03 व हंसराम हुये थे । उक्त हंसराम का देहान्त हुये अर्सा करीब 28 साल हो गया । उक्त हसराम के वारिसान मे उसको वेवा प्रतिवादिया न. 2 व उसको माता वादिया हुये। उक्त हंसराम के मरने के बाद प्रतिवादिया न. 2 ने जाट जाति के रिवाज के मुताबिक प्रतिवाद न. 01 से नाता विवाह कर लिया था और इस कारण प्रतिवादिया न. 2 से प्रतिवादी न. 01 से लड़के सुभाष, रघुवीर, राजेश है व लड़की मु. गीता है। राशन कार्ड मतदाता सुची आदि मैं प्रतिवादिया न. 2 के पति का नाम हरचन्द प्रतिवादी न. 01 दर्ज है। शंकरराम के देहान्त हो जाने के बाद वादिया ने जाट जाति के रिवाज के मुताबिक उक्त मालाराम से नाता विवाह कर लिया था और इस कारण वादिया/श्रवणी के उक्त मालाराम से प्रतिवादी न. 01 व मनीराम लड़के पैदा हुये थे। मतदाता सुची, राशन कार्ड आदि मैं वादिया के पति का नाम मालाराम दर्ज है उक्त दोनों नाता विवाह परिवार व माता पिता की स्वीकृति से, माता पिता द्वारा रीति रिवाज के मुताबिक किये गये थे और नाता विवाह होने के बाद बतौर पति पत्नी रहे । जाट जाति में सैकडों सालों से यह आम रिवाज है कि पण्डित द्वारा हवन करवाकर व पूजा पाठ करवाकर होने वाले पति की चुड़िया पहनायी जाती है व पिता दामाद के रूप में दस्तुर करता है व बतौर पति पत्नी गठबन्धन आदि किया जाता है। उक्त दोनों नाता विवाह में उक्त सब दस्तुर हुये थे। उक्त मनीराम का देहान्त हुये अर्सा करीब 20 साल हो गये । उक्त मनीराम अविवाहित था इस कारण उक्त मनीराम को वारिस वादिया/ मृतक श्रवणी माता होने से हुई । उक्त मालाराम का देहान्त हुये अर्सा करीब 15 साल हो गये उक्त मालाराम के वारिसान में उसकी बेवा वादिया व उसका लड़का प्रतिवादी न. 01 है।

यह कि ग्राम देवरोड़ को सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 137 तादादी 2 बीगा 19 विश्वा गत खसरा नम्बर 138 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा गत खसरा नम्बर 421 तादादी 8 बीघा 14 विश्वा गत खसरा नम्बर 435 तादादी 6 बीघा 15 बिश्वा है। जमीन गत खसरा नम्बर 137 व गत खसरा नम्बर 138 के हाल खसरा नम्बर 171 तादादी 3.65 हेक्टर है। जमीन गत गत खसरा नम्बर 421 के हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सुरजगढ़

नम्बर 254 तादादी 0.10 हेक्टर, हाल खसरा नम्बर 255 तादादी 2.06 हेक्टर हाल खसरा नम्बर 256 तादादी 0.04 हेक्टर है। जमीन गत खसरा नम्बर 435 के हाल खसरा नम्बर 242 तादादी 1.71 हैक्टर है।

यह कि ग्राम देवरोड़ की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 135 तादादी 6 बीघा 5 बिश्वा गत खसरा नम्बर 136 तादादी 3 बीघा 13 विश्वा गत बसरा नम्बर 436 तादादी 6 बीघा 19 विश्वा है । गत खसरा नम्बर 135 व गत खसरा नम्बर 136 कें हाल खसरा नम्बर 172 तादादी 2.53 हेक्टर है। गत खसरा नम्बर 436 के हाल खसरा नम्बर 243 तादादी 0.75 हेक्टर व हाल खसरा नम्बर 741/243 तादादी 0.01 हेक्टर है ।

यह कि जमीन वर्णित वाद पत्र मे पहले टीनेन्ट आसामी वादिया मृतक श्रवणी का ससुर कालूराम था व काबिज था और उसकी यह जमीन अपने पिता से उत्तराधिकार में मिली थी इस कारण इस जमीन के टीनेन्टस कालुराम व उसके लड़के खुबाराम, शंकरराम व मालाराम थे व काबिज थे और इनका सयुंक्त हिन्दू परिवार था और शामिल में जमीन काश्त करते थे । खुबाराम भाईयों मैं सबसे बड़ा था और उक्त खुबाराम उक्त सयुंक्त हिन्दु परिवार से सम्वत 1994 में अलग हो गया तो उस समय उक्त सयुंक्त हिन्दु परिवार की सम्पति का विभाजन किया गया तो उक्त खुबाराम के हिस्से में जमीन गत खसरा नम्बर 135 गत खसरा नम्बर 136 व गत खसरा नम्बर 436 वर्णित धारा 3 वाद पत्र आयो और उक्त कालूराम ने इस जमीन में अपना हक हिस्सा अपने लड़के के हक में छोड़ दिया था और अपने लड़कों शंकरराम व मालाराम ने शामिल मैं रहता था उक्त बंटवारे में उक्त शंकरराम व उक्त मालाराम के हिस्से जमीन गत खसरा नम्बर 137 गत खसरा नम्बर 138 गत खसरा नम्बर 421, गत खसरा नम्बर 435 वर्णित धारा 2 वाद पत्र आयी थी। उक्त शंकरराम व मालाराम व उक्त कालूराम का सयुंक्त हिन्दू परिवार था और उक्त अनुसार खुबाराम उक्त सयुंक्त हिन्दू परिवार से अलग था । इस कारण ही उस समय पैमाईस हुई तब जमीन वर्णित धारा 3 वाद पत्र को खतौनी स. 1999 उक्त खूबाराम के नाम से बहैसियत टीनेन्ट आयी। जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र की खतौनी सम्वत 1999 शंकरराम व मालाराम के नाम बहैसियत टीनेन्टस अनुसार आनी चाहिये थी, लेकिन इनके शामिल में इनका पिता रहता था इस कारण वर्णित धारा 2 वाद पत्र की खतौनी उक्त कालूराम के नाम बहैसियत टोनेन्ट आयी। सम्वत 2000 में उक्त शंकरराम का देहान्त हो गया उस समय उसके लड़के प्रतिवादी न. 03 व हंसराम नावालिग बच्चे थे और उक्त मालाराम अविवाहित था इस कारण उक्त वर्णित के अनुसार उक्त शंकरराम की बेवा वादिया मृतक श्रवणी ने उक्त मालाराम से नाता विवाह कर लिया, इस कारण वादिया व उक्त मालाराम व प्रतिवादी न.03 व हंसराम व उक्त कालूराम शामिल में रहे और शामिल मैं ही जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र को काश्त करते रहे व काबिज रहे । उक्त अनुसार कालूराम ने अपना हिस्सा पहले ही छोड़ दिया था इस कारण जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में प्रतिवादी न. 3 व हंसराम का 1/2 हिस्सा व मालाराम का 1/2 हिस्सा था । उक्त कालूराम का देहान्त सम्वत 2009 में हो गया । जमीन जैर बहस वर्णित धारा 2 वाद पत्र उक्त अनुसार कालूराम के नाम टीनेन्सी में दर्ज थी कालूराम का देहान्त हो जाने के बाद उसके लड़के खुबाराम व मालाराम जीवित थे व उसके मृतक लड़के शंकरराम के लड़के प्रतिवादी न. 3 वादी व हंसराम जीवित थे। जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में उक्त अनुसार खुबाराम का कोई हक व हिस्सा नहीं था और कालूराम के देहान्त हो जाने के बाद भी उक्त खुबाराम ने जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में कोई हक नहीं मांगा और जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र के लिये कालूराम के मरने के 11 वें दिन रिशतेदारों व कुटुम्ब के व्यक्तियों के समक्ष उक्त खुबाराम ने यही कहा था कि वह पहले से अलग है और जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में कोई क्लेम नहीं करता व कालूराम की चल व अचल सम्पति में खुबाराम ने अपने हक का परित्याग उक्त मालाराम व प्रतिवादी न. 3 व हंसराम के हक में कर दिया था। लेकिन कालूराम का लडका होने के कारण गलती से कालूराम के देहान्त हो जाने के बाद उक्त

मालाराम व प्रतिवादी न. 3 व उक्त हंसराम के साथ खुबाराम का नाम दर्ज हो गया जिसका पता न चलने के कारण दुरुस्त नही करवाया जा सका और आपस में प्रेम होने के कारण गलत रेवेन्यु रिकार्ड को तरफ ध्यान नहीं दिया । भू– प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रतिवादी न. 1 ने दिनांक 23–12–87 को एक दरखवास्त पेश की कि गाड़सिह व भानाराम पुत्र खुबाराम जाति जाट निवासी देवरोड़ का जमीन हाल खसरा नम्बर 171, हाल खसरा नम्बर 242, हाल खसरा नम्बर 254 लगायत 256 में कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण न. 4 व 5 ने दिनाकं 31–12–87 को एक शपथ पत्र तसदीक करवाया जिसमें यह दर्ज किया कि हाल खसरा नम्बर 171, हाल खसरा नम्बर 242, हाल खसरा नम्बर 254, हाल खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी

255 व हाल खसरा नम्बर 256 वाले ग्राम देवरोड़ में उनका कोई हिस्सा नहीं है और इस जमीन में विकार्ड में उनके पिता खुबाराम का नाम गलत दर्ज हो गया। इस प्रकार प्रतिवादी गण संख्या 01 व 4 व 5 इस तथ्य को स्वीकार करते है कि जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में उक्त खुबाराम व उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण न. 2 व 3 भी इस तथ्य से सहमत है। इसके अलावा सम्वत 2009 से आज तक प्रतिवादीगण न. 4 लगायत 7 ने जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में अपना कोई कब्जेम नहीं किया और उक्त अनुसार इनका कोई हक व हिस्सा इस जमीन में नहीं है।

उक्त अनुसार जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र के टीनेन्टस मालाराम व प्रतिवादी न. 2 व हंसराम हुये थे और इस जमीन में प्रतिवादी न. 3 का 1/4 हिस्सा व उक्त हंसराम का 1/4 हिस्सा व उक्त मालाराम का 1/2 हिस्सा था और शामिल में रहते थे और शामिल में ही जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र को काश्त करते थे उक्त हंसराम की शादि प्रतिवादिया न. 2 से हुई थी। लेकिन उसके बाद उक्त हंसराम का देहान्त हो गया। उक्त हंसराम के प्रतिवादिया न. 2 से कोई संतान नहीं हुई थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक उक्त हंसराम के वारिसान में वादिया मृतक श्रवणी उसकी माता होने से व प्रतिवादिया न. 2 उसकी बेवा होने से हुई । उक्त हंसराम का देहान्त हो जाने के बाद जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र जमीन गत खसरा नम्बर 138 गत खसरा नम्बर 137 गत खसरा नम्बर 435 गत खसरा नम्बर 421 के टीनेन्टस वादिया मृतक श्रवणी व मालाराम व प्रतिवादीगण न. 01 लगायत 02 व उक्त मनीराम हुए और इस जमीन में वादिया का 1/8 हिस्सा व उक्त मालाराम व प्रतिवादी न. 01 व उक्त मनीराम का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीया न. 2 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी न. 3 का 1/4 हिस्सा रहा और शामिल में जमीन को काश्त करते रहे और काबिज रहे लेकिन उक्त हंसराम के मरने के 12वें रोज प्रतिवादिया न. 2 ने अपना हक प्रतिवादी न. 3 के हक में छोड़ दिया और प्रतिवादिया न. 2 ने प्रतिवादी न. 01 से नाता विवाह कर लिया इस प्रकार इस जमीन के टीनेन्टस वादिया व प्रतिवादी न0 01 व 3 व उक्त मालाराम व उक्त मनीराम हुये और वादिया मृतक श्रवणी का इस जमीन में 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी न–3 का इस जमीन में 3/8 हिस्सा व उक्त मालाराम प्रतिवादी न.01 व उक्त मनीराम का 1/2 हिस्सा रहा और इस हिस्से के मुताबिक इस जमीन को काश्त करते रहे और लगान अदा करते रहे। उक्त मनीराम का देहान्त सम्वत 2028 में हुआ। उक्त मनीराम का इस जमीन में 1/6 हिस्सा था। उक्त मनीराम अविवाहित व ना औलाद मरा इस कारण उक्त मनीराम की वारिस माता होने से श्रवणी हुई और उक्त मनीराम का 1/6 हिस्सा वादिया है मृतक श्रवणी को मिला। इस प्रकार उक्त मनीराम के देहान्त हो जाने के बाद जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र के टीनेन्टस वादिया मृतक श्रवणी व प्रतिवादी संख्या 01 व 03 व उक्त मालाराम हुये और शामिल में काश्त करते रहे एवं काबिज रहे । उक्त मालाराम का देहान्त हुये अर्सा करीब 15 साल हो गये । उक्त मालाराम के वारिसान मे उसकी बेवा होने से श्रवणी व उसका लड़का हरचन्द हुये। इस जमीन में पैत्रिक सम्पति होने से उक्त मालाराम व उसके लड़कों का बराबर बराबर हिस्सा था । इस कारण उक्त मालाराम का इस जमीन में 1/6 हिस्सा था और मनीराम के मरने के बाद मनीराम का 1/6 हिस्सा वादिया को मिला व प्रतिवादी नम्बर 01 हरचन्द का इस जमीन में 1/6 हिस्सा था । उक्त मालाराम का देहान्त हो जाने के बाद उसका 1/6 हिस्सा श्रवणी व प्रतिवादी संख्या 01 को मिला । उक्त मालाराम के देहान्त हो जाने के बाद इस जमीन के टीनेन्टस वादिया मृतक श्रवणी व प्रतिवादोनण न. 01 व 3 हुये और इस जमीन में वादिया का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी न. 3 व वादी संख्या 1/1 का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी न. 01 का 1/4 हिस्सा रहा ।

इस प्रकार जमीन हाल खसरा नम्बर 171 तादादी 3..65 हेक्टर हाल खसरा नम्बर 243 तादादी 1.71 हेक्टर हाल खसरा नम्बर 254 तादादी 0.10 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 255 तादादी 2.05 हेक्टर हाल खसरा नम्बर 256 तादादी 0.04 हेक्टर वाके ग्राम देवरोड़ के टीनेन्टस वादिया व प्रतिवादी गण न. 01 व 3 है और इस जमीन में वादिया का 5/8 हिस्सा और प्रतिवादी न. 03 का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी न. 01 का 1/4 हिस्सा है ।

यह कि श्रवणी देवी का 3/8 हिस्सा उपरोक्त भूमि में था जिस बाबत श्रवणी देवी ने एक वसीयतनामा दिनांक 6–8–92 को वादी मुकन्दाराम के हक में लिखवाकर वसीयतनामा सुन समझकर गवाहान के समक्ष अपनी अगुंठा निशानी कर दी व गवाहान ने श्रवणी देवी के अगुंठा निशानी को उसकी उपस्थिती मे प्रमाणित कर वसीयतनामा पर अपने हस्ताक्षर कर वसीयतनामा नोटेरी पब्लिक झुन्झुनू से तसदीक करवा दिया । जो श्रवणी देवी की ओर से अपनी सम्पति बाबत आखिरी वसीयतनामा था। दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर

राजस्व वाद संख्या:– 153/2017
श्रीमती श्रवणी बनाम हरचन्द वगै0
निर्णय दिनांक:– 30.05.2025

14–8–98 को श्रवणी देवी की मृत्यु हो गई इसलिये श्रवणी देवी के 3/8 हिस्से का भी टीनेन्ट वादी मुकन्दाराम हो गया इस तरह कुल भूमि में मुकन्दाराम का 3/8 हिस्सा स्वयं का व 3/8 हिस्सा मृतक श्रवणी का यानि कुल 3/4 हिस्सा हुआ ।

यह कि प्रतिवादिया न. 02 ने करीब 28 साल पहले अपना हक प्रतिवादी न. 3 के हक में छोड़कर प्रतिवादी न. 01 से नाता विवाह कर लिया था और उक्त 28 साल के दौरान प्रतिवादी न. 3 जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में 3/8 हिस्से की जमीन को अपने हक मे काश्त करता रहा है और प्रतिवादिया न. 2 का उक्त 28 साल के दौरान कभी भी कब्जा नहीं रहा। करीब 13 साल से प्रतिवादीगण न. 01 व 2 व प्रतिवादी न. 3 को आपस में अनबन है जो नाराजगी उक्त मालाराम के देहान्त हो जाने के बाद हुई। उक्त अर्से से प्रतिवादीया न. 2 ने प्रतिवादी न. 3 से हक मांगना शुरू कर दिया लेकिन प्रतिवादिया न. 2 द्वारा अपना हक प्रतिवादी न.3 के हक में छोड़ा हुआ था इस कारण प्रतिवादी न. 3 ने इन्कार कर दिया और प्रतिवादी न. 3 उक्त अर्से से प्रतिवादिया न. 2 के खिलाफ काश्त करता आ रहा है । प्रतिवादिया न. । व 2 आपस में मिलकर प्रतिवादी न. 3 को बर्बाद करना चाहते हैं ।

यह कि उक्त हंसराम के मरने के बाद वादिया का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज होने से गलती से रह गया और उक्त मनीराम का उक्त अनुसार हिस्सा था उसका रेवेन्यु रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं था इस कारण वादिया का नाम रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका । उक्त मालाराम के देहान्त हो जाने के बाद भी वादिया का नाम रेवेन्यु रिकार्ड मैं दर्ज नहीं हो सका और वादिया का शामिल में कब्जा व हिस्सा होने से व आपस में प्रेम होने से रेवेन्यु रिकार्ड की तरफ वादिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। उक्त हंसराम, उक्त मालाराम व उक्त मनीराम का देहान्त हो जाने पर वादिया को वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित हक मिले और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के मुताबिक वादिया अपने हिस्से की फुल ओनर हो गई । इस कारण इस जमीन का रेवेन्यु रिकार्ड वादिया के हकों के खिलाफ कोई असर नहीं रखता। एक बार हक मिलने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत ही खत्म हो सकते है। वादिया के हक के लिये उक्त अधिनियम की धारा 63 लागु नहीं हुई । वादिया विधवा औरत है इस कारण वादिया को उक्त अधिनियम की धारा 5/25 व धारा 46 का लाभ मिलता है । वादिया हंसराम का देहान्त हो जाने के बाद अपने हिस्से की जमीन अपने पति मालाराम व अपने लड़को से काश्त करवाती थी और उक्त मालाराम का देहान्त हो जाने के बाद वादिया वाद की धारा 2 में वर्णित जमीन में अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादीगण न. 01 व 2 से काश्त करवाती रही है। वाद की धारा 2 में वर्णित जमीन को खतौनी स. 2044 से 2063 वादिया के टीनेन्सी राईटस के खिलाफ बेअसर व शुन्य है। वादिया का वाद को धारा 2 में वर्णित जमीन में उक्त अनुसार 3/8 हिस्सा रहा है। इस कारण 3/8 हिस्से को जमीन का रेवेन्यु रिकार्ड वादिया के नाम दर्ज होना चाहिये था । वादिया ने अपने पति, लडको व पति पर विश्वास किया और रेवेन्यू रिकार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया । इसके अलावा इनके शामिल मे रहते थे । इस कारण इस बेईमानी का पता वादिया को नही चला।

यह कि उक्त अनुहार वादिया वाद पत्र की धारा 02 में वर्णित जमीन में अपना 3/8 हिस्सा शामिल में उक्त अनुसार काश्त करवाती आ रही है और कुछ समय से प्रतिवादी न. 03 व 01 अलग अलग हो गये । इस कारण वादिया प्रतिवादी न0 01 के शामिल में और कभी प्रतिवादी 3 के शामिल में रही है और अपने हिस्से की जमीन काश्त करवाती रही है। दिनांक 10.04.92 को वादिया प्रतिवादी न0 03 के पास से प्रतिवादी न. 01 के शामिल में रहने के लिये आयी तो प्रतिवादी न.01 ने वादिया को अपने में शामिल में नहीं रखा और कहा कि वादिया को प्रतिवादो न:01 को कोई हक व हिस्सा नहीं देगा और प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादिया का कोई हिस्सा होने से भी इन्कार कर दिया और धमकी दो कि वादिया को इस साल जमीन काश्त नहीं करने देगा और जमीन के पेड़ काटकर बेच देगा और उचित ग्राहक मिलते ही जमीन को बेच देगा। आपसी सहुलियत से हाल खसरा नम्बर 171 तादादी 3.65 हेक्टर में प्रतिवादी न. 03 मकानात बनाकर आबाद है तथा इस जमीन मैं प्रतिवादी न. 03 का बनाया हुआ पुख्ता कुआं है इस जमीन में प्रतिवादी संख्या 03 वादिया के हिस्से से इन्कार नही कर रहा है । लेकिन हाल खसरा नम्बर 242 तादादी 1.71 हेक्टर व खसरा नम्बर 254 तादादी 0.10 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 255 तादादी 2.06 हैक्टर व हाल खसरा नम्बर 256 तादादी 0.04 हेक्टर वाके ग्राम देवरोड़ पर प्रतिवादी नम्बर 01 का कब्जा वादिया के शामिल मे रहा है लेकिन वादियां को प्रतिवादी नम्बर 01 व 2 ने वादिया के हिस्से के अनुसार जमीन काश्त करने देने से उक्त अनुसार मना कर दिया और इस जमीन को बर्बाद करने व बेचने की फिराक में है इस जमीन का रेवेन्यु रिकार्ड भी प्रतिवादी न 01 ने अपने हक में गलत

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद संख्या:– 153/2017
श्रीमती श्रवणी बनाम हरचन्द वगै0
निर्णय दिनांक:– 30.05.2025

भरवा लिया अगर वादिया को प्रतिवादीगण न. 01 व 2 ने बेदखल कर दिया या इस जमीन को बर्बाद कर दिया या बेच दिया तो वादिया को अपार नुकशान होगा। इस कारण वादिया को अपने हकुक की रक्षा के लिये यह दावा करना पड़ रहा है ।

यह कि जमीन हाल खसरा नम्बर 242, हाल खसरा नम्बर 254 हाल खसरा नम्बर 255 हाल खसरा नम्बर 256 मे उक्त अनुसार वादिया का हिस्सा है और वादिया वृद्ध विधवा कमजोर औरत है और इसका नाजायज फायदा प्रतिवादी गण न. 01 व 2 ताकत के बल पर उठाना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। वर्तमान पैमाईस में पहले इस जमीन मैं उक्त खुबाराम का नाम दर्ज था उक्त खुबाराम के वारिसान प्रतिवादीगण न. 4 से 7 है । उक्त खुबाराम के देहान्त हो जाने के बाद प्रतिवादी गण न. 4 व 5 का भी नाम दर्ज हुआ था जो गलत था इस कारण व आयन्दा की हुजत से बचने के लिये प्रतिवादीगण 04 लगायत 07 को फरीक बनाया गया है व बंटवारा की इस्तदुआ होने से प्रतिवादी न. 08 को फ्रीक बनाया गया है प्रतिवादी न. 3 कोंटीनेन्ट होने से फरीक बनाया गया है ।

घोषणा इस अमल की फरमाई जावे कि जमीन खसरा नम्बर 171 तादादी 3.65 हैक्टर खसरा नम्बर 242 तादादी 1.71 हेक्टर खसरा नम्बर 254 हाल खसरा नम्बर 1060/254 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1061/254 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1062/254 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 तादादी 2.06 हाल खसरा नम्बर 1063/255 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1064/255 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 1065/255 रकबा 1.71 है0, खसरा नम्बर 256 तादादी 0.04 हेक्टर वाके ग्राम देवरोड़ के टीनेन्टस वादी मुकुन्दाराम व प्रतिवादीगण 01 व 2 है और इस जमीन मैं वादी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी न. 01 का 1/4 हिस्सा है। वादी को 3/4 हिस्से का कोटीनेन्ट घोषित किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड नामान्तरकरण वादी के हक मैं कराने का आदेश दिया जावे ।

उक्त दावा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी । उभयपक्ष को न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होने को पांबद किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नही आया । प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर वकील वादी ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गयी । बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अवलोकन बाद मुताबिक अनुतोष वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

जमीन खसरा नम्बर 171 तादादी 3.65 हैक्टर खसरा नम्बर 242 तादादी 1.71 हेक्टर खसरा नम्बर 254 हाल खसरा नम्बर 1060/254 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1061/254 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1062/254 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 तादादी 2.06 हाल खसरा नम्बर 1063/255 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1064/255 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 1065/255 रकबा 1.71 है0, खसरा नम्बर 256 तादादी 0.04 हेक्टर वाके ग्राम देवरोड़ की जमीन मे वादीगण का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी न. 01 का 1/4 हिस्सा है। वादीगण को 3/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी न. 01 को 1/4 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । उक्तानुसार तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है कि रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 153/2017
श्रीमती श्रवणी बनाम हरचन्द वगै0
निर्णय दिनांकः– 30.05.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी ।। (आर.ए.एस.)

मु0नं0 153/2017

श्रीमती श्रवणी बनाम हरचन्द वगै0
दावा बाबत, रिकार्ड दुरुस्ती, घोषणार्थ एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 30.05.2025 को श्रीमती सुमन देवी ।। उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

अतः वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि जमीन खसरा नम्बर 171 तादादी 3.65 हैक्टर खसरा नम्बर 242 तादादी 1.71 हेक्टर खसरा नम्बर 254 हाल खसरा नम्बर 1060/254 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1061/254 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1062/254 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 तादादी 2.06 हाल खसरा नम्बर 1063/255 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1064/255 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 1065/255 रकबा 1.71 है0, खसरा नम्बर 256 तादादी 0.04 हेक्टर वाके ग्राम देवरोड़ की भूमि में वादीगण का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी न. 01 का 1/4 हिस्सा है। वादीगण को 3/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी न. 01 को 1/4 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । उक्तानुसार तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है कि रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़